"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011—आश्विन 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7026/डी. 190/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 20 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप-धारा (1), (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(1) **वार्षिक लक्ष्य :— राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी—**

2011-12	—	शून्य
2012-13	—	शून्य
2013-14	—	शून्य
2014-15	—	शून्य

(2) **राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—**

2010-11	—	3 प्रतिशत
2011-12	—	3 प्रतिशत
2012-13	—	3 प्रतिशत
2013-14	—	3 प्रतिशत
2014-15	—	3 प्रतिशत

(4) (एक) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण दायित्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

2010-11	—	22.00 प्रतिशत
2011-12	—	22.50 प्रतिशत
2012-13	—	23.00 प्रतिशत
2013-14	—	23.50 प्रतिशत
2014-15	—	23.90 प्रतिशत

(दो) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी,

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा आपवादिक आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य शासन के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकेगा."

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"6 (1) (क) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में निर्दिष्ट है) प्रत्येक तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.

(ख) धारा 3 में विहित राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यथा अधिसूचित राज्यस्तरीय समिति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी."

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्रमांक 7026/डी. 190/21-अ/प्रारू./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2011)

THE CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh State Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. For sub-section (1), (2) and (4) of Section 3 of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No. 16 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(1) **Annual targets :—** The State Government shall maintain revenue deficit every year, beginning from financial year 2011-12, as below —

2011-12	-	Zero
2012-13	-	Zero
2013-14	-	Zero
2014-15	-	Zero

(2) The State Government shall maintain actual fiscal deficit as percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11	-	3%
2011-12	-	3%
2012-13	-	3%
2013-14	-	3%
2014-15	-	3%

(4) (i) The State Government shall maintain total outstanding debts percentage of gross State domestic product every year, beginning from financial year 2010-11, as below—

2010-11	-	22.00%
2011-12	-	22.50%
2012-13	-	23.00%
2013-14	-	23.50%
2014-15	-	23.90%

(ii) The State Government shall not assume additional total liabilities in excess of 5 percent of GDP for any financial year beginning 2011-12:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this Section on the ground or grounds of unforeseen demands of the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or such other exceptional grounds as the State Government may specify."

3. For sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 6.**

"6 (1) (a) The Minister-in-Charge of the Department of Finance (hereinafter referred to as Minister of Finance) shall review, every quarter, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget estimates and place before the State Legislature, the outcome of such reviews.

(b) Fiscal targets mentioned in the Section 3 shall be reviewed atleast twice in a year by the state level committee headed by Chief Secretary of the State as notified under the provisions of the Act."

4. The Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2011 (No. 2 of 2011) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.